

कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक [सी.स.], सीमा सड़क भवन,
रिंग रोड, दिल्ली छावनी-10


कार्यालय आदेश भाग 1 संख्या - 113

दिनांक :- 15/07/2013

विषय :- वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 17 मई, 2013 से
प्रभावी विनिमय राष्ट्रीय बाजार दरें।

उपरोक्त विषयक रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के पत्र संख्या
लेखा/III/7896/इ आर/ओ आर/2013-14 दिनांक 07/06/2013 के अंतर्गत प्राप्त
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
के दिनांक 16/05/2013 के अधिसूचना संख्या 54/2013- Customs(N.T.)की
प्रतिलिपि जो अब रक्षा मंत्रालय (वित्त) (बजट-II) की दिनांक 23/05/2013 की
अ.वि.सं.230(1)/2009/बी-II के अधीन प्राप्त हुई है, सूचनार्थ मार्गदर्शन एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने अधीनस्थ
कार्यालयों को प्रेषित करें।

कृपया पावती दें।


ले.अधिकारी (लेखा परीक्षा)

फाइल संख्या :- ए.टी./ बी.आर./125/विविध

दिनांक :- 15/07/2013

प्रतिलिपि :-

{1} र.ल. नियंत्रक (सी.स.) गुवाहाटी

{2} र.ले. संयुक्त नियंत्रक (सी.स.) चंडीगढ़

{3} वेतन लेखा कार्यालय (ग्रेफ) पुणे

{4} मुख्य कार्यालय के संबंधित सभी अधिकारी एवं अनुभाग

ई डी पी. (अनुभाग) के साइट पर अपलोड करने के लिए।


ले.अ. (लेखा परीक्षा)

2013
84
17/6/13

Sh. Deepak
19/6



कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी-110010.
दूरभाष सं-011-25665548, 25665736/37, 25665583/84, र.ले.सं.म.नि (लेखा एवं बजट)
दूरभाष: 011-25665614, फ़ैक्स: 011-25674786, 25674819

लेखा0/111/7896/इ आर/ओ आर/2013-14

दिनांक: 07.06.2013

सेवा में,

र. ले. प्र.नि./ र.ले.नि. (सीमा शुल्क)
दिल्ली 2013

विषय: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 17 मई, 2013 से प्रभावी विनिमय
राष्ट्रीय बाजार दरें ।

संदर्भ: इस मुख्यालय के दिनांक 22.05.2013 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में ।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के दिनांक
16.05.2013 के अधिसूचना सं0 54/2013-कस्टम्स (एन. टी.) की प्रतिलिपि जो अब रक्षा मंत्रालय (वित्त)
(बजट-11) की दिनांक 23.05.2013 की अ0 वि0 सं0 230(1)/2009/बी-11 के अधीन प्राप्त हुई है, सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है ।

17/6/13

व0 लेखा अधिकारी (लेखा)

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

बजट-11 अनुभाग

विषय:- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 17.05.2013 से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनिमय दर ।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक 10.5.2013 की अ०वि० संख्या 230(1)/2009/ब०-11 के क्रम में राजस्व विभाग की दिनांक 16.5.2013 की अधिसूचना संख्या 54/2013-शुल्क (एन टी) की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए अप्रेषित की जाती है ।

सहायक वित्तीय सलाहकार

सहायक वित्तीय सलाहकार (बजट-11)

संलग्न. उपर्युक्त ।

1. वित्तीय योजना निदेशालय (वि०यो-3)- दो प्रतियां ।
2. वायु मुख्यालय (वित्तीय योजना निदेशालय) - दो प्रतियां ।
3. डीएनपी, नौसेना मुख्यालय - दो प्रतियां ।
4. अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीएमएम) ।
5. आरसीपीओ, नई दिल्ली ।
6. स०वि०स० (एटीवीपी) 7. स०वि०स० (बीआरडीबी) मुख्यालय/आईडीएस 8. योजना अधिकारी (रक्षा), (योजना एवं समन्वय निदेशालय) ।
9. र०मं० (वित्त) रोकड़ अनुभाग-2 प्रतियां ।

र०मं०(वि०प्र०) अ०वि० सं० 230(1)/2009/बजट-11 दिनांक 23.05.2013

प्रति प्रेषित- 1. रक्षा (एन-1), 2. रक्षा (एन-11), 3. रक्षा (वायु-1), 4. रक्षा (वायु-IV), 5. जेडीएमसी-1 कमरा संख्या 392, सेना मुख्यालय, 6. रक्षा (उत्पादन), 7. रक्षा(ओ-1), 8. रक्षा(जीएस-IV), 9. एमजीओ(पीपीओ-04), 10. एमजीओ (पीपीव-5), 11. एमजीओ(पीपीओ-3), 12. आईएफए(सेना), 13. आईएफए(नौसेना), 14. आईएफए(वायुसेना), 15. निदेशक (पीएंडसी), 16. निदेशक (वित्त/ओ), 17. निदेशक (वा०से०/उपस्कर), 18. निदेशक (वित्त/अनु० एवं विकास), 19. निदेशक (डीपी), 20. निदेशक(वायु/संगठन), 21. निदेशक (वित्त/पीएसयू), 22. रक्षा मंत्रालय (रोकड़ अनुभाग)-दो प्रतियां, 23. डीजीक्यूए, 24. एपीएमओ (बजट), 25. वित्त/ओ२पी, 26. एमजीओ/ईएम(जीएस एंड सी)

इन्हें भी प्रति प्रेषित :- 1. र०ले०म०नि० नई दिल्ली, 2. र०ले०नि० मुख्यालय, नई दिल्ली, 3. र०ले०नि०(अनु० एवं विकास) र०ले०नि० (नौसेना), मुम्बई, 5. परियोजना प्रबंधक एपीएमओ वायुसेना मुख्यालय, 6. वित्त नियंत्रक, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता, 7. सहायक निदेशक (बजट) तट रक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली, 8. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु० एवं विकास) बेंगलुरु, 9. सीसी और एफवाईएस कोलकाता, 10. र०ले०नि० (सीमा सड़क), सीमा सड़क भवन, रिंग रोड नारायण, दिल्ली छावनी, 11. आईएफ सेना(एम) कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली, 12. र०ले०नि० 107, लोवर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट बेंगलुरु ।

A 11

Ministry of Defence (Fin)
(Budget -II)

Subject: Exchange rates of conversion of foreign currency into Indian Currency or vice - versa effective from 17.05.2013 notified by the Ministry of Finance, Department of Revenue.

In continuation of Ministry of Defence (Finance)'s ID No. 230(1)/2009/B-II dated 10.5.2013, a copy of Department of Revenue Notification No. 54/2013-Customs (N.T) dated 16.05.2013 on the above subject is forwarded herewith for necessary compliance.

Laxmi Narain
(Laxmi Narain)
A.F.A (Budget-II)

Encl. As above

1. Dte. of Financial Planning (FP-3), AHQ
2. Air HQrs. (Dte. of Financial Planning)
3. DNP, Naval HQrs
4. R&D Organization (DMM)
5. DGOF, New Delhi
6. AFA (ATVP)
7. AFA (BRDB)
8. Planning Officer (Def),(Dte. of Planning and Coordination), DDP.
9. Cash Section MoD(Fin).

MoD (Fin) I. D. No. 230(1)/2009/B-II Dated 23.05.2013

Copy to : 1. D(N-I), 2. D(N-II), 3. D(Air-I), 4. D(Air-IV), 5. DDMC-I Room No. 3-A, 6. D(Prod), 7. D(O-I), 8. D(GS-IV), 9. MGO(PPO-4), 10. MGO(PPO-5), 11. MGO(PPO-3), 12. IFA(Army), 13. IFA(Navy), 14. IFA(Air Force), 15. Dir(P&C), 16. Dir(Fin/O), 17. Dir(AF/EQPT), 18. Dir(Fin/R&D), 19. Dir(DP), 20. Dir(AF/Org), 21. Dir(Fin/PSU), 22. MOD(Cash Section)- 2 copies, 23. DGQA, 24. APMO (Budget), 25. Fin/O2P, 26. MGO/EM(GS&C).

Copy also to: 1. CGDA New Delhi, 2. PCDA Hqrs, New Delhi, 3. CDA(R&D) New Delhi, 4. CDA (N)Bombay, 5. Project Manager APMO Air Hqrs, 6. Controller of Finance OFB Kolkatta, 7. Asstt. Dir(Budget)Coast Guard Hqrs National Stadium New Delhi, 8. CDA(R&D) Bangalore, 9. CC of AEYS Kolkatta, 10. CDA(BR) Seema Sadak Bhawan Ring Road Naraina, Delhi Cantt, 11. JF Army/M Kashmir House New Delhi, 12. CDA, 107, Lower Agram Road, Agram Post Bangalore.

Exchange rate Circular



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION
NO 54/2013-CUSTOMS (N.T.)

DATED THE 16th May, 2013
26 Vaisakha, 1935(SAKA)

(B) In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 22/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd May, 2013 vide Section 50(1)(E), dated the 2nd May, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such super session, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of one unit of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedules I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or vice versa shall, with effect from 17th May, 2013 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said notification relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
	Australian Dollar	55.05	53.55
	Belgian Dinar	149.75	141.35
	Canadian Dollar	54.50	53.15
	Danish Krone	9.65	9.35
	EURO	71.80	70.00
	Hong Kong Dollar	7.15	7.00
	Kenya Shilling	67.60	63.50
	Kuwait Dinar	197.70	185.95
	New Zealand Dollar	45.65	44.45
10.	Norwegian Krone	9.55	9.25
11.	Pound Sterling	84.50	82.50

Contd...2/...

12	Singapore Dollar	44.70	43.55
13	South African Rand	6.10	5.75
14	Saudi Arabian Riyal	15.05	14.20
15	Swedish Kroner	8.35	8.10
16	Swiss Franc	57.50	56.05
17	UAE Dirham	15.35	14.50
18	US Dollar	55.30	54.35

SCHEDULE-II

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
	Japanese Yen	54.40	53.00

[F.No.468/03/2013-Cus.V]

(ABHINAV GUPTA)
 UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA
 TELE: 2309 4610